निगरानी प्रकरण क्र. ....

प्रस्तुति दिनांक : / /2018

मानननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/झाबुआ/भू.रा/2018/2046

श्रीमती अनिता बेवा वरसिंह उर्फ राजू मईड़ा,
निवासी ग्राम ठिकरिया (करड़ावद) तहसील
पेटलावद जिला झाबुआ,
हाल मुकाम – रतलाम जिला रतलाम (म.प्र.) — आवेदक

विरूद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री मनीष व्यास
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26-02-2018
को प्रस्तुत।
204
26-02-2018
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1. मांगू पिता कूका मईड़ा,
निवासी – ग्राम ठिकरिया (करड़ावद) तहसील
पेटलावद जिला झाबुआ

2. नंदू पिता कूका मईड़ा
निवासी – ग्राम ठिकरिया (करड़ावद) तहसील
पेटलावद जिला झाबुआ — अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

सदर की निगरानी आवेदिका की ओर से न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा उनके राजस्व अपीलीय क्र. 60/अपील./2016-17 में दिनांक 27-12-2017 को पारित आदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत निगरानी पेश है।

निगरानी प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

यह कि, ग्राम ठिकरिया (करड़ावद) पटवारी हल्का नंबर 6 तहसील पेटलावद में स्थित कृषि भूमि खाता नंबर 1033 के विभिन्न सर्वे नंबर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भू.रा./2018/2046

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-2018	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ के आदेशिका दिनांक 27-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में उत्तराधिकार का प्रश्न निहित होने के कारण उत्तराधिकार के प्रश्न का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराये जाने हेतु उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही 3 माह के लिए स्थगित की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	